

21/12/22

वकील उमरचपल उपास्थित | अपीलेंट अधिवक्ता
द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवेदन किया कि
अपीलेंट नये सिरे से अपील प्रस्तुत करना
चाहता है | जिस हेतु अपील पेश करने की
अनुमति प्रदान करने हेतु उक्त अपील को विद्वे
करने का आदेश प्रदान करावे |

अपीलेंट अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र श्यायहित
में स्वीकार किया जाता है | संब आदेश दिया
जाता है कि अपीलेंट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील
नई अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते
हुए परिये विद्वेष्ट छारिद्य की जाती है | पत्रावली
केसल सुमार होकर बाद आवश्यक प्रार्थनाही दाखिल
दफ्तर ली |

राजस्व अपील प्राधिकारी
पानी केम्प-जालोर